



अपीलान्त वकील उप.नहीं। अपीलान्त उप.नहीं । कई बार आवाज लगवाई गई। अपीलान्त या उसके वकील उप. नहीं । अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर,
भरतपुर